प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ०ग०)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 542 /2012

याचिकाकर्ता : ईश्वर

विरूद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 562 /2012

याचिकाकर्ता श्रीमति राही बाई

विरूद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5990/ 2011

याचिकाकर्ता सनद कुमार नायक

विरूद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5684/ 2011

याचिकाकर्ता सुखदेवपुरी गोस्वामी

विरूद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6536 /2011

याचिकाकर्तागण — जगदीश प्रसाद साहू एवं अन्य

विरूद्ध

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7032/2011

याचिकाकर्ता — श्रीमती उमा देवी

विरूद्ध

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका(सेवा) क्रमांक 6973 / 2011

याचिकाकर्तागण: धर्मपाल सिंह क्षत्रिय एवं अन्य

विरूद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4033 / 2010

याचिकाकर्तागण: श्रीमती देवकी बाई

विरूद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4032 / 2010

याचिकाकर्ता: चुन्नी लाल

विरूद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4393 / 2010

याचिकाकर्ता: बिसाल

विरूद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5670 / 2010

याचिकाकर्ता देवंतीन बाई

विरूद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 665 / 2012

याचिकाकर्तागण: सेवक राम पटल एवं अन्य

विरूद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

उपस्थित::- श्री एस.के. थॉमस, श्री ए.के. पाटिल, श्री अनूप मजूमदार, श्री के.के. देवांगन, श्री अजीत सिंह, श्री आई.एस. साहू और श्री सुनील ओटवानी, विद्धान अधिवक्ता संबंधित याचिकाकर्ता की ओर से ।

राज्य की ओर से :- श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप महाधिवक्ता

आदेश

(दिनांक 28 फरवरी, 2012 को पारित किया गया)

<u>प्रशांत कुमार मिश्रा, माननीय न्यायाधीश</u>

1. **रिट याचिका क्रमांकों** के इस समूह में, निर्धारण के लिए एक समान प्रश्न यह उठता है कि क्या दैनिक वेतनभोगी कार्यभारित कर्मचारी, जिसने कार्यभारित और **आकस्मिकता निधि** से भुगतान किए गए सेवाओं की नियमित सेवा में अर्हकारी सेवा पूरी नहीं की है, वह **नियमितीकरण** से पहले दैनिक वेतनभोगी के रूप में अपनी पिछली सेवा की गणना करके पेंशन का हकदार है। दूसरे शब्दों में, निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या छत्तीसगढ़ (कार्यभारित और आकस्मिकता निधि कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 (जिन्हें इसके बाद '1979 के नियम' कहा गया है) के तहत निर्धारित **अर्हकारी सेवा**, कर्मचारी की सेवाओं के नियमितीकरण के बाद शुरू होगी या नियमितीकरण से पहले दैनिक वेतनभोगी के रूप में उसकी पिछली सेवा भी गणना में ली जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. स्वीकृत रूप से प्रत्येक रिट याचिका में **याचिकाकर्तागण** प्रारंभ में जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे और बाद में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नियमितीकरण की योजना के अनुसार नियमित किए गए थे। उनके नियमितीकरण की तारीख और सेवानिवृत्ति की तारीख निम्नानुसार हैं:-

सरल क्रमांक	**रिट याचिका क्रमांक**	**याचिकाकर्ता / आश्रित**	**नियमितीकरण की तिथि**	**सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि**
1.	**542/2012**	ईश्वर	23-8-2008	30-11-2011
2.	**562/2012**	श्रीमती राही बाई, स्व. श्री झनऊ राम साहू की विधवा	26-8-2008	याचिकाकर्ता के पति की सेवाकाल में मृत्यु 21.5.09 को हुई
3.	**5990/2011**	सनद कुमार नायक	13-5-2008	31-3-2011
4.	**5684/2011**	सुखदेव पुरी	13-8-2008	30-6-2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

		गोस्वामी		
5.	**6536/2011**	(i) जगदीश प्रसाद साहू	13-8-2008	31-10-2009
		(ii) कुमार साओ	13-8-2008	31-10-2010
6.	**7032/2011**	श्रीमती उमा देवी वर्मा, स्व. भगवती प्रसाद वर्मा की विधवा	13-8-2008	याचिकाकर्ता के पति की सेवाकाल में मृत्यु 25.10.10 को हुई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.	**6973/2011**	(i) धर्मपाल सिंह क्षत्रिय	14-8-2008	-
		(ii) नियाज मोहम्मद शेख	14-8-2008	-
		(iii) रामहिया लाल दुबे	14-8-2008	-
		(iv) मोहम्मद इब्राहिम	14-8-2008	-
8.	**4033/2010**	श्रीमती देवकी बाई, स्व. रूपऊ राम साहू की विधवा	22-8-2008	याचिकाकर्ता के पति की सेवाकाल में मृत्यु 20.6.09 को हुई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9.	**4032/2010**	चुन्नी लाल	19-8-2008	31-1-2010
10.	**4393/2010**	बिसाल	22-8-2008	30-11-2008
11.	**5670/2010**	देवंतीन बाई	22-8-2008	30-4-2009

12.	**665/2012**	(i) सेवक राम पटेल	-	-
		(ii) श्रीमती गनेसिया बाई	-	-
		(iii) श्रीमती प्रेम बाई	-	-
		(IV) श्री पुनी साहू	-	-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस न्यायालय द्वारा **एम.ए. हाकिम विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य** (**रिट याचिका क्रमांक** 4135/2004, दिनांक 28-8-2006 को विनिश्चित) के प्रकरण में दिए गए **न्याय-निर्णय** पर और उसके बाद **झुनिया बाई विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य** (**रिट याचिका क्रमांक** 2884/2009, दिनांक 1-2-2010 को विनिश्चित) के प्रकरण में तथा **गोविंद विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य** (**रिट याचिका क्रमांक** 108/2005) एवं अन्य संबंधित प्रकरणों में दिए गए न्याय-निर्णयों पर तथा **विष्णु एवं अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य** (2006 (1) **एम.पी.एच.टी** 374 (एफ.बी)) के प्रकरण में विश्वास करते हुए, **याचिकाकर्तागण** के विद्वान अधिवक्तागण ने यह तर्क दिया है कि प्रत्येक कर्मचारी जिसने नियमितीकरण से पहले या नियमितीकरण के बाद, दैनिक वेतनभोगी के रूप में अपनी पिछली सेवा सहित, आकस्मिकता निधि से भुगतान किए गए कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, वह 1979 के नियमों के अनुसार **अर्हकारी अवधि** की गणना के लिए दैनिक वेतनभोगी के रूप में अपनी पिछली सेवा को गणना में लिये जाने हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके **प्रतिकूल** , राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान **उप महाधिवक्ता** ने तर्क दिया कि 1979 के नियमों के प्रावधानों को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और **अर्हकारी सेवा** से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेते समय तथा यह कि दैनिक

वेतनभोगी के रूप में व्यतीत की गई अवधि गणना में ली जाएगी या नहीं, **आकस्मिकता निधि कर्मचारी नियम, 1975** (संक्षेप में '1975 के नियम') के प्रावधानों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। **मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल एवं अन्य विरूद्ध मनोज श्रीवास्तव**[1], **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य विरूद्ध अर्जुनलाल रजक**[2], **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा**[3], **महेंद्र एल. जैन एवं अन्य विरूद्ध इंदौर विकास प्राधिकरण एवं अन्य**[4], और **हरियाणा राज्य एवं अन्य विरूद्ध शकुंतला देवी**[5] के मामलों में दिए गए **न्याय-निर्णयों** पर विश्वास करते हुए, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि एक दैनिक वेतनभोगी तब तक कोई पद धारण नहीं करता है या उससे संबंधित कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं करता है, जब तक कि उसे विधिवत स्वीकृत पद के विरूद्ध और उस क्षेत्र में संचालित सांविधिक विधि का पालन करते हुए नियुक्त नहीं किया जाता है। इसलिए, **अर्हकारी सेवा** की गणना में दैनिक वेतनभोगी के रूप में व्यतीत की गई अवधि की गणना नहीं की जा सकती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उनके अनुसार, **एम.ए. हाकिम** और **झुनिया बाई (पूर्वोक्त)** के मामलों में दिए गए निर्णय इन **प्रकरणों** में लागू नहीं होते हैं। वास्तव में, इस न्यायालय का एक अन्य निर्णय, जो **रिट याचिका क्रमांक 2507/2005**, निर्णय तिथि **15-05-2007**, **झाड़ू राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर एवं अन्य** {2007 LAB (लेब)

[1] (2006)2 Supreme Court cases 702
[2] (2006) 2 SCC 711
[3] AIR 2007 SC 528
[4] (2005)1SCC 639
[5] AIR 2009 SC 869

आई.सी (एन.ओ.सी) 496 (छत्तीसगढ.)} के प्रकरण में है, उस विषय पर विचार करता है जो वर्तमान में विचाराधीन है और इन **प्रकरणों** के तथ्यों पर **पूर्णतः लागू** होता है।

उन्होंने आगे **श्रीमती रहीशा बेगम बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[6] के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है और अंत में, उन्होंने यह तर्क दिया है कि इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विषय **श्रीमती ममता शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[7] के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के **पूर्ण पीठ** के निर्णय द्वारा तय किया जा चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उनके अनुसार, यह **प्रकरण**, **एम.ए. हाकिम** और **झुनिया बाई (उपरोक्त)** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों के **समरूप** नहीं है और अन्यथा इस न्यायालय द्वारा **झाड़ू राम (पूर्वोक्त)** एवं **श्रीमती ममता शुक्ला (पूर्वोक्त)** के मामलों में पारित निर्णय से **आच्छादित** है।

5. इस न्यायालय ने **याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता** को विस्तार से सुना है और **रिट याचिकाओं** के साथ संलग्न दस्तावेजों का **परिशीलन** किया है।

---

[6] 2007(4)MPHT 595
[7] 2011(3)MPHT 81(FB)

6. यह न्यायालय सर्वप्रथम इस प्रश्न पर विचार करेगा कि क्या यह **प्रकरण**, **झुनिया बाई (पूर्वोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय से **आच्छादित** है, जो स्वयं **एम.ए. हाकिम (पूर्वोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय पर आधारित था।

7. **एम.ए. हाकिम** के निर्णय के **कंडिका -4** में, इस न्यायालय द्वारा यह **अभिलिखित** किया गया है कि 'उत्तरवादी/राज्य, **पेंशन नियम, 1979** के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, जो कि याचिकाकर्ता के प्रकरण में लागू होते हैं।' आगे यह भी अभिलिखित किया गया है कि 'उत्तरवादीगण का यह **तर्क** कि याचिकाकर्ता ने नियमित कर्मचारी के रूप में **10 वर्ष की सेवा** पूर्ण नहीं की है, किसी भी ऐसे नियम या परिपत्र द्वारा समर्थित नहीं है जिससे कि **कार्यभारित कर्मचारी** को पेंशन की स्वीकृति से **अयोग्य** ठहराया जा सके। विधि के प्रावधानों के **स्पष्ट पठन** से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उक्त पेंशन नियम, 1979 के अनुसार **स्वीकार्य** पेंशन का पात्र है।' इस प्रकार, एम.ए. हाकिम का मामला **स्वयं के तथ्यों** के आधार पर तय किया गया था और विशेषकर तब जब उत्तरवादी /राज्य इस न्यायालय के समक्ष कोई **सामग्री** प्रस्तुत करने में विफल रहा। **झुनिया बाई** के प्रकरण में, **कंडिका-17** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

> "सभी दृष्टिकोणों से देखने पर, चूंकि **उत्तरवादीगण** का यह पक्ष नहीं है कि **कार्यभारित स्थापना** पर नियुक्त होने के पश्चात, जैसा कि **संविलियन**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश से स्पष्ट है, **याचिकाकर्ताओं** ने नियमित पद पर संविलियन होने तक **निर्बाध रूप से** कार्य किया है। दोनों पक्षों द्वारा ऐसी कोई **सामग्री** प्रस्तुत नहीं की गई है कि क्या याचिकाकर्ताओं को नियमित पद के विरुद्ध **आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों** के रूप में नियुक्त किया गया था, अतः इस पहलू पर कोई **अभिमत** व्यक्त नहीं किया जा सकता है।"

इस प्रकार, दोनों प्रकरणों अर्थात् **एम.ए. हाकिम** और **झुनिया बाई (उपरोक्त)** के प्रकरण में, पक्षकारों द्वारा पर्याप्त **सामग्री** प्रस्तुत नहीं की गई थी, अतः वे निर्णय उन प्रकरणों के तथ्यों में लागू होते हैं और पक्षकारों के मध्य **परस्पर बाध्यकारी** हैं। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय के पश्चातवर्ती निर्णय **झाड़ू राम (पूर्वोक्त)** के मामले में निम्नलिखित **अभिनिर्धारित** किया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित **विद्वान अधिवक्ता** के इस **तर्क** के संबंध में कि श्रम न्यायालय ने दिनांक 17-12-1984 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को पूर्व पद पर **सेवा की निरंतरता** के साथ **पुनर्स्थापना** का निर्देश दिया था। यह स्पष्ट है कि श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को उसके पूर्व पद पर **दैनिक वेतन** पर बहाल करने का निर्देश दिया है और उक्त सेवा को **नियमित सेवा** के रूप में नहीं गिना जा सकता है।"

"7. **मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976** के **नियम 12 का उप-नियम (2)**:- **अर्हतादायी सेवा का प्रारंभ** जिसे **नियम 43 के उप-नियम (2)**: **पेंशन की धनराशि** के साथ पढ़ा जाए, निम्नानुसार है:"

"**नियम 12 (1) XXX XXX XXX XXX**

(2) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा उस दिनांक से प्रारंभ होगी जिस दिनांक को वह किसी पद का जिस पर वह पहली बार स्थायी अथवा स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से नियुक्त हुआ है, कार्यभार ग्रहण करता है।"

"**नियम 43 (1) XXX XXX XXX- XXX**

(2) इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार **10 वर्ष से कम नहीं** की **अर्हकारी सेवा** पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के मामले में, **पेंशन की मात्रा** निम्नानुसार निर्धारित उचित राशि होगी, अर्थात्:-"

"8. **पेंशन नियम, 1976** के सुसंगत प्रावधानों के **परिशीलन** पर, पेंशन और अन्य **सेवानिवृत्ति लाभों** की स्वीकृति हेतु **अर्हकारी सेवा** 10 वर्ष है। स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता की सेवा को दिनांक 24.12.1986 से **नियमित** किया गया था और याचिकाकर्ता दिनांक 25-3-1995 को सेवानिवृत्त हुआ। इस प्रकार, याचिकाकर्ता पेंशन नियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन का **पात्र** नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"8- जब सभी सुसंगत तथ्य इस न्यायालय के समक्ष नहीं रखे गए थे, तब इस प्रश्न पर कि किसी पूर्व निर्णय पर विश्वास करते हुए मामले का निपटारा कब किया जाना चाहिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य बनाम ए.जी.एम. मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड**[8] के प्रकरण में **उक्त निर्णय की कंडिका-7** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-"

‘’ "7. न्यायालयों को उन **निर्णयों** पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि इस बात पर चर्चा न हो जाए कि तथ्यात्मक स्थिति उस निर्णय की तथ्यात्मक स्थिति के साथ कैसे मेल खाती है जिस पर भरोसा किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय की टिप्पणियों को न तो **यूक्लिड के प्रमेयों** के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और न ही **विधि के प्रावधानों** के रूप में, विशेषकर जब उन्हें उनके संदर्भ से बाहर लिया गया हो। इन टिप्पणियों को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे व्यक्त की गई प्रतीत होती हैं।

न्यायालय के निर्णयों का अर्थ **विधियों** की तरह नहीं निकाला जाना चाहिए। किसी विधि के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्यायाधीशों हेतु विस्तृत चर्चा करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उस चर्चा का उद्देश्य **व्याख्या करना** है, न कि **परिभाषित करना** न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, वे

[8] (2006) 5 SCC 520

निर्णयों की व्याख्या नहीं करते हैं। वे विधियों के शब्दों की व्याख्या करते हैं; उनके (न्यायाधीशों के) शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए।"

"लंदन ग्रेविंग डॉक कंपनी लिमिटेड बनाम हॉर्टन {(1951) 2 ऑल ईआर 1 (एचएल)} (ए.सी पेज 761) में लॉर्ड मैकडरमोट ने निम्नलिखित अवलोकन किया था:-

''निश्चित रूप से, इस मामले को केवल न्यायमूर्ति विल्स के '**इप्सिसिमा वर्बा**' - **सटीक शब्दों)** को संसद के किसी अधिनियम का हिस्सा मानकर और उन पर लागू होने वाले निर्वचन के नियमों को प्रयुक्त करके तय नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ उस अत्यंत प्रतिष्ठित न्यायाधीश द्वारा वास्तव में उपयोग की गई भाषा को दिए जाने वाले भारी महत्व को कम करना कतई नहीं है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

होम ऑफिस बनाम डोरसेट यॉट कंपनी [(1970) 2 All ER 294] में लॉर्ड रीड ने कहा:

"लॉर्ड एटकिन के वक्तव्य को इस तरह से नहीं माना जाना चाहिए जैसे कि वह कोई **सांविधिक परिभाषा** हो। नई परिस्थितियों में इसमें **संशोधन या मर्यादा** की आवश्यकता होगी।"

2. शेफर्ड होम्स लिमिटेड बनाम सैंडहम (नंबर 2) [(1971) 2 ऑल ईआर **1267 (सीएचडी)] में न्यायमूर्ति मेगरी ने टिप्पणी की:**

"निश्चित रूप से, किसी को रसेल, एल.जे. के एक **सुरक्षित निर्णय** का भी इस तरह से **निर्वचन** नहीं करना चाहिए जैसे कि वह संसद का कोई अधिनियम हो।"

3. ब्रिटिश रेलवे बोर्ड बनाम हेरिंगटन [(1972) 1 ऑल ईआर **749 (एच एल)] में लॉर्ड मॉरिस ने कहा**

किसी वक्तव्य या निर्णय के शब्दों को **विधायी अधिनियम** के शब्दों की तरह मानने में सदैव **जोखिम** बना रहता है, और यह याद रखा जाना चाहिए कि **न्यायिक कथन** किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में किए जाते हैं।

11. **परिस्थितिजन्य लचीलापन** एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच जमीन-आसमान का अंतर पैदा कर सकता है। आँख बंद करके किसी निर्णय पर भरोसा करके मामलों का निराकरण करना उचित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **पूर्ववर्तियों को लागू करने के मामले में** लॉर्ड डेनिंग के निम्नलिखित शब्द **लोकस क्लासिकस** बन गए हैं:-

> प्रत्येक प्रकरण अपने तथ्यों पर निर्भर करता है और एक प्रकरण व दूसरे प्रकरण के बीच घनिष्ठ समानता पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण विवरण संपूर्ण पहलू को बदल सकता है। ऐसे मामलों का निर्णय करते समय, मामलों का निर्णय करने के प्रलोभन से बचना चाहिए (जैसा कि कार्डोज़ो (द नेचर ऑफ द ज्यूडिशियल प्रोसेस, पृष्ठ 20) ने कहा है) एक प्रकरण के रंग का दूसरे प्रकरण के रंग से मिलान करके। इसलिए, यह तय करने के लिए कि कोई प्रकरण रेखा के किस तरफ आता है, दूसरे प्रकरण से व्यापक समानता बिल्कुल भी निर्णायक नहीं है।

पूर्ववर्ती का पालन केवल वहीं तक किया जाना चाहिए जहाँ तक वह न्याय के मार्ग को चिह्नित करता है, लेकिन आपको सूखी लकड़ी को काटना होगा और किनारे की शाखाओं को छांटना होगा अन्यथा आप अपने आप को घने जंगलों और शाखाओं में खोया हुआ पाएंगे। मेरा निवेदन है कि न्याय के मार्ग को उन बाधाओं से मुक्त रखा जाए जो इसे बाधित कर सकती हैं।' यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेजर बहादुर सिंह, (2006) 1 एससीसी 368, पृष्ठ 373-74, पैरा 9 से 12।

9. . उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुद्दा एम.ए. हकीम और झुनिया बाई (**पूर्वोक्त**) के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों के समान नहीं है और वे निर्णय उन विशिष्ट मामलों की तथ्यात्मक स्थिति में लागू होते हैं। इसी प्रकार, गोविंद और विष्णु के मामलों में दिए गए निर्णय उनके अपने तथ्यों पर आधारित थे और उनमें एक स्थायी गैंगमैन की अधिवार्षिकी की **आयु** के विषय पर निर्णय लिया गया था; तथा यह प्रश्न कि क्या एक स्थायी गैंगमैन द्वारा दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा को 1979 के नियमों के तहत **अर्हता कार्य सेवा** के रूप में गिना जाएगा, कभी मुद्दा था ही नहीं। अतः, वे निर्णय भी एक अलग विषय से संबंधित अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित हैं जो उस समय न्यायालय के समक्ष उत्पन्न हुए थे, और वे उन तथ्यों तथा उस मुद्दे पर लागू नहीं होते हैं जिसका सामना यह न्यायालय रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच (समूह) में कर रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विचाराधीन मामलों में, संबंधित कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी पद पर अपने नियमितीकरण से पूर्व 'स्थायी गंगमैन' के रूप में कार्य कर रहा था। लो.नि.वि. नियमावली का अध्याय IV कार्यों और भंडारों के लेखों से संबंधित है। पैरा-4.001 प्रारंभिक अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में निर्देश जारी करता है, जिसमें माप पुस्तिका के रखरखाव के अतिरिक्त, आकस्मिक गंगमैन' का मस्टर रोल और 'स्थायी गंगमैन' की कार्य प्रगति शामिल है। कंडिका-4.003 (क) आकस्मिक गैंग के गठन का प्रावधान करता है, जबकि कंडिका -4.003 (ख) उनके पंजीकरण और भुगतान के लिए स्थायी गैंग के गठन का प्रावधान करता है। 'स्थायी गंगमैन' शब्द लो.नि.वि. नियमावली के तहत केवल कार्यों और भंडारों के लेखों के रखरखाव के लिए एक **नामपद्धति** है और उक्त 'स्थायी गैंग' को ऐसा व्यक्ति नहीं समझा जाना चाहिए जिसे पेंशन नियम, 1979 के नियम 2 (ग) के तहत परिभाषित 'स्थायी कर्मचारी' शब्द के अर्थ और अभिप्राय के भीतर स्थायी कर दिया गया हो। पेंशन नियमों के नियम 2 (ग) के तहत परिभाषित 'स्थायी कर्मचारी' के रूप में वर्गीकृत किए जाने और माने जाने की आवश्यकता पर इस निर्णय के आगामी पैराग्राफों में विचार किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. कार्य-भारित स्थापना और कार्य-भारित कर्मचारियों के अर्थ और अवधारणा को समझने के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जसवंत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**[9] के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लेना श्रेयस्कर होगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ब्यास परियोजना के लिए नियोजित 36,000

[9] (1979) 4 Supreme Court Cases 440

कार्य-भारित कर्मचारियों के इस दावे पर विचार कर रहा था कि क्या वे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं; यदि हाँ, तो क्या उनकी सेवा की शर्तें केंद्र सरकार के अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होती हैं; और क्या उनके विरुद्ध प्रस्तावित या पारित छंटनी के आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं। इस दावे पर विचार करते समय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका-42 और 43 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

> 42. कार्य-भारित स्थापन का मोटे तौर पर अर्थ एक ऐसे स्थापन से है, जिसके व्यय, जिसमें कर्मचारियों की मजदूरी और भत्ते शामिल हैं, "**कार्यों**" के नामे डाले जाते हैं कार्य-भारित स्थापन पर पदस्थापित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आम तौर पर कार्यों की अनुमानित लागत के एक अलग **उप-शीर्ष** के रूप में दिखाए जाते हैं।
>
> 43. ब्यास परियोजना के उद्देश्य के लिए नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या कार्य-भारित थी। कार्य-भारित कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है और उनकी नियुक्तियाँ किसी **विनिर्दिष्ट कार्य** के निष्पादन के लिए की जाती हैं। उनके नियोजन की प्रकृति से ही, उनकी सेवाएँ उन कार्यों के पूरा होने पर स्वतः समाप्त हो जाती हैं जिनके एकमात्र उद्देश्य के लिए उन्हें नियोजित किया गया था। उन्हें **उपदान भुगतान अधिनियम** के तहत कोई राहत नहीं मिलती है और न ही उन्हें कोई **छंटनी लाभ** या कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के तहत कोई लाभ प्राप्त होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.एक बार फिर **राजस्थान राज्य बनाम कुन्जी रमन**[10] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जसवंत सिंह (पूर्वोक्त)** के निर्णय पर भरोसा करते हुए पैरा-6 और 8 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

'6. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **जसवंत सिंह बनाम भारत संघ** में इंगित किया गया है, कार्य-भारित स्थापन का मोटे तौर पर अर्थ एक ऐसे स्थापन से है जिसके व्यय, जिसमें कर्मचारियों की मजदूरी और भत्ते शामिल हैं, "**कार्यों**" पर प्रभार्य होते हैं। कार्य-भारित स्थापन पर पदस्थापित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आम तौर पर कार्यों की अनुमानित लागत के एक अलग उप-शीर्ष के रूप में दिखाए जाते हैं। कार्य-भारित कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है और उनकी नियुक्तियाँ किसी विनिर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए की जाती हैं। उनके नियोजन की प्रकृति से ही, उनकी सेवाएँ उन कार्यों के पूरा होने पर स्वतः समाप्त हो जाती हैं जिनके एकमात्र उद्देश्य के लिए उन्हें नियोजित किया गया था। इस प्रकार, एक कार्य-भारित स्थापन, नियमित स्थापन से **सारभूत और गुणात्मक रूप से भिन्न** होता है।'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इस प्रकार, एक कार्य-भारित स्थापन एक नियमित स्थापन से भिन्न होता है जो कि प्रकृति में स्थायी होता है। एक कार्य-भारित स्थापन की

[10] (1997) 2 Supreme Court Cases 517

स्थापना और निरंतरता सरकार द्वारा किसी परियोजना या योजना या किसी "कार्य" को हाथ में लेने और उसे निष्पादित करने के लिए **धन की उपलब्धता** पर निर्भर करती है। जहाँ तक कार्य-भारित स्थापनों में लगे कर्मचारियों का संबंध है, न केवल उनकी भर्ती और सेवा शर्तें, बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और कर्तव्य भी नियमित स्थापन के कर्मचारियों के समान नहीं होते हैं। एक नियमित स्थापन और एक कार्य-भारित स्थापन दो अलग-अलग प्रकार के स्थापन हैं और इस प्रकार उन स्थापनों में नियोजित व्यक्ति **दो पृथक और विशिष्ट वर्ग** बनाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसी कारण से, यदि कार्य-भारित स्थापन में लगे व्यक्तियों के लिए नियमों का एक अलग समूह बनाया जाता है और नियमित स्थापन में काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू होने वाले सामान्य नियमों को उन पर लागू नहीं किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार द्वारा उनके साथ **मनमाने** और **भेदभावपूर्ण** तरीके से व्यवहार किया गया है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सरकार के पास कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग नियम बनाने की शक्ति है। इसलिए, हम सिविल अपील संख्या 653/1993 में अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए इस तर्क को खारिज करते हैं कि पी.एस.आर. (PSR) के नियम 2 के खंड (जी), (एच) और

(आई) संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं, और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।

(**बल दिया गया)**

13.अतः यह **प्रत्यक्ष** है कि कार्य-भारित स्थापन पर पदस्थापित व्यक्ति, नियमित स्थापन से भिन्न होते हैं जो कि अपनी प्रकृति में स्थायी होता है।

14.आगे बढ़ने से पूर्व, यह न्यायालय **नियमावली, 1975** और **नियमावली, 1979** की उन मुख्य विशेषताओं पर विचार करेगा जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विषय का निर्णय करने के लिए सुसंगत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.**1975 की नियमावली** के तहत, नियम 2(ख) के अंतर्गत 'आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी' शब्द को परिभाषित किया गया है और नियम 2(7) के तहत 'कार्यभारित कर्मचारी' को परिभाषित किया गया है। सेवा का वर्गीकरण और उसमें शामिल पदों का प्रावधान नियम 5 के अनुरूप अनुसूची में दिया गया है। इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, कार्य-भारित और आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात: (i) स्थायी और, (ii) अस्थायी। सेवा का कोई भी सदस्य जिसने 1 जनवरी, 1974 को या उसके बाद 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वह निधि से वेतन प्राप्त करने का हकदार है। नियम 7 भर्ती तथा पदोन्नति के संबंध में प्रावधान करता है, जबकि नियम 8 सेवा में प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों

की आयु, शारीरिक योग्यता और अधिवार्षिकी **आयु** के बारे में बताता है। नियम 9 ज्येष्ठता सूची तैयार करने के बारे में निर्देशित करता है जबकि नियम 10 सेवा अभिलेखों के रखरखाव के बारे में बताता है। नियम 11 के तहत नियुक्ति प्राधिकारी को उस कर्मचारी को सेवामुक्ति संबंधी पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है जिसकी सेवा समाप्त या छंटनी कर दी गई है या जिसने स्वेच्छा से सेवा छोड़ दी है; जबकि नियम 12 कार्य-भारित और आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारी के आचरण के बारे में बताता है। नियम 13 के तहत सेवा के सदस्य पर लगाए जा सकने वाले शास्तियों का प्रावधान किया गया है और ऐसी शास्तियों को अधिरोपित करने की प्रक्रिया नियम 14 के तहत प्रदान की गई है। शास्ति से व्यथित कोई भी व्यक्ति नियम 15 के तहत अपील दायर कर सकता है। इस प्रकार, 1975 की नियमावली अपने आप में एक **पूर्ण संहिता** है जो सेवा के सदस्य पर लागू होती है और किसी भी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी दैनिक वेतनभोगी निश्चित वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद स्वतः सेवा का सदस्य बन जाएगा और उसकी सेवा केवल नियम 14 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और नियम 13 में उल्लिखित शास्ति आरोपित करने के बाद ही समाप्त की जा सकती है। नियमावली की ये विशेषताएं स्वयं दर्शाती हैं कि जब सेवा के सदस्य का आचरण और निरंतरता नियमों के समूह के तहत शासित होती है, तो प्रथम दृष्टया, उसे नियम 7 के तहत प्रदान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की गई किसी न किसी पद्धति के तहत भर्ती होकर सेवा का सदस्य होना चाहिए, और एक दैनिक वेतनभोगी, दैनिक वेतनभोगी के रूप में कुछ वर्षों की सेवा देने के बाद स्वतः सेवा का सदस्य नहीं बन जाएगा।

16. पेंशन नियम 1979 के तहत, **'स्थायी कर्मचारी'** को एक ऐसे आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारी या कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसने 1 जनवरी, 1974 को या उसके बाद **15 वर्ष या उससे अधिक की सेवा** पूरी कर ली हो, जबकि नियम 3 यह प्रावधान करता है कि ये नियम कार्य-प्रभारित और आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों के प्रत्येक स्थायी सदस्य पर लागू होंगे। जब 1975 के नियमों और 1979 के पेंशन नियमों के प्रावधानों को **सामंजस्यपूर्ण रूप से** पढ़ा जाता है, तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि 1979 के पेंशन नियमों के तहत परिभाषित सेवा में **स्थायित्व** प्राप्त करने के लिए, एक कर्मचारी को 1975 के नियमों के तहत प्रदान किए गए किसी न किसी माध्यम से अपनी नियुक्ति द्वारा सेवा का एक **नियमित सदस्य** होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पेंशन नियम 1979 के नियम 2(ग) के तहत 'स्थायी कर्मचारी' की परिभाषा में उल्लिखित 15 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के लिए, जब तक कि कोई व्यक्ति कार्य-प्रभारित और आकस्मिकता निधि सेवा का वैसा **स्थायी सदस्य** न हो जैसा कि पेंशन नियम 1979 के नियम 2(ग) के तहत परिभाषित है, तब तक उक्त नियम उस पर लागू नहीं होता है।

17.. पेंशन नियम, 1979 का **नियम 6 (3)** यह प्रावधान करता है कि 'किसी भी नियमित पेंशनयोग्य पद पर बिना किसी व्यवधान के **अस्थायी कर्मचारी के संविलियन** पर, 1 जनवरी 1974 के बाद से आगे की गई सेवा, यदि ऐसी सेवा **6 वर्ष से "कम" नहीं** है (जैसा कि नियमों के हिंदी संस्करण के अनुसार है, अंग्रेजी संस्करण में "not" शब्द लुप्त है), तो उसे पेंशन के लिए इस प्रकार गिना जाएगा मानो ऐसी सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो।'

18. 1975 के नियमों के नियम 6 के उप-नियम (3) का आशय और अर्थ यह है कि नियम 6 के तहत उल्लेखित ऐसा 'अस्थायी कर्मचारी', जिसे बिना किसी व्यवधान के किसी नियमित पेंशनयोग्य पद पर संविलियन किया गया है, उसकी 1 जनवरी, 1974 से की गई सेवा को पेंशन के लिए उसी प्रकार गणना में लिया जाएगा जैसे कि वह सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो, बशर्ते कि ऐसी सेवा 6 वर्ष से कम की न हो। इस प्रकार, नियम 6 के उप-नियम (3) को आकर्षित करने के लिए, एक व्यक्ति को सेवा का अस्थायी सदस्य होना चाहिए और फिर उसे सेवा के नियमित सदस्य के रूप में आमेलित किया जाना चाहिए और अर्हकारी सेवा के प्रारंभ के लिए कम से कम 6 वर्ष की सेवा पूरी करनी चाहिए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि एक दैनिक वेतन भोगी को स्वतः ही सेवा का अस्थायी सदस्य मान लिया जाएगा। 1975 के नियमों के नियम 6 में उल्लेखित 'सेवा के अस्थायी सदस्य' या 'अस्थायी कर्मचारी' शब्द का एक निश्चित अर्थ है और

किसी भी स्थिति में, एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिसे कार्य-प्रभारित और आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, वह तब तक सेवा का अस्थायी सदस्य नहीं बनता जब तक कि उसे 1975 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक स्पष्ट आदेश द्वारा उक्त अस्थायी दर्जा प्रदान न किया गया हो।

सेवा न्यायशास्त्र में, "अस्थायी कर्मचारी" की स्थिति दैनिक वेतन भोगी/कार्य-प्रभारित कर्मचारी की तुलना में काफी उच्च स्थान पर है। जब किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, तो यह मान लिया जाता है कि नियमों के तहत उसे अस्थायी दर्जा प्रदान किया गया है जब वह व्यक्ति एक नियमित रिक्ति के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अरुंधति अजीत परगांवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य {ए.आई.आर 1995 सु.को 962}** के प्रकरण में निर्धारित किया गया है। एक स्थायी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति के पास एक नियमित कर्मचारी के सभी विशेषाधिकार होते हैं, सिवाय इसके कि नियुक्ति केवल नियमों के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार ही स्थायी होती है। इसी संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में, जिनमें से कुछ उद्धृत हैं— **मोती राम डेका बनाम जनरल मैनेजर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे व अन्य संबंधित मामले**[11] और **चंपकलाल चिमनलाल शाह बनाम भारत संघ**[12]—यह माना गया है कि एक अस्थायी सेवक भी अनुच्छेद 311(2) के तहत संरक्षण का हकदार है, जबकि यह संरक्षण दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को उपलब्ध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[11] AIR 1964 SC 600
[12] AIR 1964 SC 1854

19. निर्विवाद रूप से अपने नियमितीकरण से पूर्व, प्रत्येक कर्मचारी कार्य-प्रभारित स्थापना में एक दैनिक वेतन भोगी था और अपने नियमितीकरण से पहले पूरे कार्यकाल के दौरान उसे उसी रूप में माना गया था, यद्यपि दैनिक वेतन भोगी/स्थायी गैंगमैन के प्रति कल्याणकारी उपाय के रूप में सेवा पुस्तिका का संधारण, अर्जित अवकाश की स्वीकृति, उपदान और वेतन पुनरीक्षण जैसे कई अन्य लाभ/सुविधाएं लागू की गई थीं। जब एक स्थायी गैंगमैन दैनिक वेतन भोगी बना रहता है, तो एक दैनिक वेतन भोगी के अधिकार और उसकी पात्रता तथा दैनिक वेतन भोगी के रूप में प्रदान की गई सेवा के सापेक्ष उसके अधिकारों को, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए समझा और लागू किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. **महेंद्र एल. जैन और अन्य (पूर्वोक्त)** में, निर्णय के कंडिका-33 में निम्नलिखित अवधारित किया गया है:-

> "33. इस प्रकरण के उद्देश्य के लिए, हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि 1961 का अधिनियम, 1973 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के सापेक्ष एक विशेष संविधि है। किंतु उक्त अधिनियम के प्रावधानों में किसी भी संघर्ष की अनुपस्थिति में, 1973 के अधिनियम और 1987 के नियमों में यथा उपबंधित भर्ती से संबंधित सेवा शर्तें लागू होंगी। यदि बाद वाले (नियमों) के कारण नियुक्ति अवैध है, तो नियमितीकरण का सहारा लेकर उसे वैध नहीं

बनाया जा सकता है। नियमितीकरण के उद्देश्य के लिए, जो संबंधित कर्मचारी को स्थायी दर्जा प्रदान करेगा, एक पद का अस्तित्व होना अनिवार्य है। हालाँकि, हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि नियमितीकरण का अर्थ स्वयं में स्थायित्व नहीं है। हमने 1963 के नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस शब्द का प्रयोग किया है।"

21. **एम.पी. हाउसिंग बोर्ड और अन्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, निर्णय के कंडिका-8 से 10, 12 और 15 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:-

"8. "स्थायी कर्मचारी" का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की नियुक्ति सांविधिक नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। प्रत्यर्थी का यह मामला नहीं है कि उसे किसी ऐसे रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया था जिसे सक्षम सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया था, या उसकी नियुक्ति उस क्षेत्र में प्रभावी सांविधिक विधि का पालन करते हुए की गई थी।

9. श्रम न्यायालय ने दुर्भाग्यवश उक्त प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया और इस आधार पर अपना अधिनिर्णय पारित कर दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी ने मानक स्थायी आदेशों के खंड 2 (vi) के निबंधनों के अनुसार छह महीने से अधिक समय तक संतोषजनक ढंग से कार्य किया था, इसलिए उसने स्थायी होने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। उक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए, श्रम न्यायालय ने केवल प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए मौखिक कथन पर भरोसा किया।

10.यह कहना एक बात है कि किसी व्यक्ति को तदर्थ आधार पर या दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि उसे उसके लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया है जो रिक्त पड़ा था।"

12 **महेंद्र एल. जैन बनाम इंदौर विकास प्राधिकरण {(2005) 1 SCC 639}** में, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के ही एक पूर्व निर्णय **एम.पी. विद्युत कर्मचारी संघ बनाम एम.पी. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड {(2004) 9 SCC 755}** का अनुसरण किया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया था कि जब किसी क्षेत्र में दो सांविधिक नियम प्रभावी होते हैं, तो जब तक कि सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम और विनियम 1960 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत न हों, तब तक दोनों संविधियों के प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है: (महेंद्र एल. जैन मामला, पृष्ठ 651-52 कंडिका 29)।

1973 का अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम, तदर्थ आधार पर या दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्तियों का प्रावधान नहीं करते हैं। 1961 का अधिनियम स्वयं यह दर्शाता है कि कर्मचारियों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना है, अर्थात: स्थायी, स्थायी मौसमी, परिवीक्षाधीन, बदली, प्रशिक्षु और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्थायी। अपीलकर्ताओं की नियुक्तियाँ उक्त श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आती हैं। स्थायी कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी के रूप में विचार किए जाने हेतु पात्र होने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति की नियुक्ति उन्हीं के निबंधनों के अनुसार होनी चाहिए। स्थायी कर्मचारी को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: (i) जिन्हें एक या अधिक पदों पर स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध परिवीक्षाधीन या अन्यथा नियुक्त किया गया था; और (ii) जिनका नाम मस्टर रोल (उपस्थिति पंजी) में पंजीकृत था और जिन्हें 'स्थायी कर्मचारी का टिकट' दिया गया था। इस प्रकार, मानक स्थायी आदेशों के आदेश 3 के निबंधनों के अनुसार 'स्थायी कर्मचारी का टिकट' जारी किया जाना आवश्यक था। स्थायित्व का दावा करने से पूर्व ऐसा टिकट प्रदान किया जाना अनिवार्य था। अपीलकर्ताओं ने ऐसा कोई टिकट प्रस्तुत नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. एक दैनिक वेतन भोगी किसी पद को तब तक धारित नहीं करता है जब तक कि उसकी नियुक्ति अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के निबंधनों के अनुसार न की गई हो। वह इसके संबंध में कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं करता है।"

(बल दिया गया)

22. . 22. हरियाणा राज्य व अन्य बनाम शकुंतला देवी, ए.आई.आर 2009 एस.सी 869 के प्रकरण में, निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:-

अतः प्राथमिक प्रश्न यह है कि उक्त योजना के अर्थ के अंतर्गत शासकीय कर्मचारी कौन होगा। हम इस पर थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न यह होगा कि क्या इस योजना को नियमों से स्वतंत्र होकर पढ़ा जा सकता है। इसका उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नियमों के निबंधनों के अनुसार, परिवार पेंशन के लाभ को विस्तारित करने से पूर्व निम्नलिखित पूर्व-शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है:

1. कर्मचारी को एक शासकीय कर्मचारी होना चाहिए।

2. उसे एक पेंशनभोगी स्थापना में नियोजित होना चाहिए।

3. उसे उसके लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. नियमों का खंड 3.17 स्पष्ट शब्दों में यह व्याख्या करता है कि 'मूल' और 'स्थायी नियोजन' का क्या अर्थ है। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि "यह केवल उस व्यक्ति पर लागू होता है जो सेवानिवृत्त हो चुका है", सही नहीं है क्योंकि सेवानिवृत्ति की तिथि पर 'मूल स्थायी पद' धारण करने के शब्दों के बाद 'राज्य सरकार के अधीन उसकी अस्थायी या स्थानापन्न सेवा' शब्द आते हैं। अतः, सेवा में स्थायीकरण, चाहे वह सेवानिवृत्ति से पहले हो या मृत्यु से पहले, पेंशन की स्वीकृति हेतु पात्र होने के लिए एक अनिवार्य शर्त माना जाना चाहिए।

<u>केवल तभी जब कोई कर्मचारी सेवा में अपनी सेवा प्रदान करता है, वह पूर्णकालिक कर्मचारी कहलाने का हकदार होगा। सेवा अनुबंध और/या उसे शासित</u>

करने वाले सांविधिक नियमों के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के कारण ही कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शासकीय कर्मचारी बन सकता है। जब सेवा के नियम और शर्तें किसी संविधि या सांविधिक नियमों द्वारा शासित होती हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे नियोजन के अनुबंध पर प्रभावी होंगी, किंतु उस उद्देश्य के लिए संबंधित कर्मचारी को यह दिखाना होगा कि उसकी नियुक्ति प्रकृति में नियमित थी और वह पद एक कैडर पद था। शासकीय कर्मचारी दर्जा तभी प्राप्त करता है जब वह किसी संविधि के कारण या अपने नियोक्ता द्वारा उसे इसके लिए हकदार घोषित किए जाने के कारण उसका पात्र बन जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. उपरोक्त विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम योजना के प्रावधानों का विश्लेषण कर सकते हैं।

कंडिका 3 के निबंधनों के अनुसार, यह योजना पेंशनभोगी स्थापना के उन सभी नियमित कर्मचारियों, चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी, पर लागू होती है जो सेवा में थे। इस प्रकार, चाहे अस्थायी हो या स्थायी, कर्मचारी को एक नियमित कर्मचारी होना चाहिए, जिसका अर्थ यह होगा कि कर्मचारी को नियमित आधार पर, अर्थात् नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया हो। केवल इसलिए कि तदर्थ कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखी गईं, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि इसके द्वारा उसकी स्थिति बदल गई है। इस बात को दोहराना उचित होगा कि किसी कर्मचारी की स्थिति या तो अनुबंध के कारण या संविधि के कारण बदल सकती है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं

दिखाया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि संबंधित कर्मचारी सेवा अनुबंधों के तहत या किसी संविधि या सांविधिक नियमों के तहत राज्य के नियमित कर्मचारी बन गए थे।

यदि उक्त योजना उत्तरवादीगण पर लागू नहीं होती थी, तो योजना को किस प्रकार प्रशासित(क्रियान्वित) किया जाएगा, इस संबंध में प्रावधानों का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

30. यह कहना एक बात है कि किसी व्यक्ति को नियमित आधार पर एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था, किंतु यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि नियुक्ति अस्थायी आधार पर तदर्थ प्रकृति की थी। जहाँ पूर्ववर्ती प्रकरण में, नियुक्ति विधि के अनुसार की जानी अनिवार्य है, वहीं उत्तरवर्ती प्रकरण में, ऐसा होना आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियुक्ति के प्रस्तावों के अवलोकन से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट है कि संबंधित कर्मचारियों की नियुक्तियाँ छह महीने की अवधि के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक के लिए की गई थीं। यह तथ्य कि पदों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर भरा जाना था, स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की प्रकृति तदर्थ थी।"

(बल दिया गया)

23. उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में एक समान सूत्र यह है कि एक दैनिक वेतन भोगी को किसी पद को धारित करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह सेवा का सदस्य नहीं है, और वह उस अवधि के लिए कोई विधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है जिसके दौरान वह दैनिक वेतन भोगी के रूप में एक कर्मचारी था। **झाड़ू राम (पूर्वोक्त)** के मामले में, इस न्यायालय ने प्रकरण में ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. श्रीमती ममता शुक्ला (पूर्वोक्त) के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने एक समान नियमों से संबंधित ठीक इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, निर्णय के कंडिका-1 में उल्लेखित निम्नलिखित विधिक प्रश्नों को अधिनिर्णय हेतु तैयार किया:-

"(i) क्या रिट अपील (डब्ल्यू ए .) क्रमांक 725/2007 (**श्रीमती रहीसा बेगम बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य**) में खंडपीठ का निर्णय, इस न्यायालय की ही पूर्ववर्ती खंडपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 1273/2000 (**मध्य प्रदेश राज्य व अन्य बनाम राम सिंह एवं अन्य**) में पारित आदेश दिनांक 18-7-2005 के आलोक में सही विधि नहीं है?"

(ii) क्या कोई कर्मचारी, संबंधित विभाग द्वारा कार्य-प्रभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त कर्मचारियों के लिए बनाए गए भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार, अथवा मध्य प्रदेश (कार्य-प्रभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी)

पेंशन नियम, 1979 के नियम 2 में "आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी", "कार्य-प्रभारित कर्मचारी" और "स्थायी कर्मचारी" के संबंध में दी गई परिभाषा के अनुसार अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात, उक्त पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के तहत पारिवार पेंशन के लाभ हेतु पात्र है?

(iii) क्या पेंशन के लाभ की स्वीकृति के प्रयोजन हेतु किसी कर्मचारी की अर्हकारी सेवा की गणना करने के लिए यह आवश्यक है कि उस कर्मचारी की नियुक्ति, संबंधित विभाग द्वारा कार्य-प्रभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में बनाए गए भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई हो?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उक्त मामले में, विभिन्न न्यायपीठों के निर्णयों में विरोधाभास को देखते हुए एक वृहत्तर पीठ को संदर्भित काल भेजा गया था और नियमों के सुसंगत प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात, पूर्णपीठ के माननीय न्यायाधीशों ने कंडिका 12, 13, 16, पैरा-20 का अंतिम भाग, 23, 24 और 25 में इस प्रकार अवधारित किया है:-

12. 1979 के पेंशन नियम, कार्य-प्रभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के संबंध में स्वतंत्र नियम नहीं हैं। नियुक्ति, अर्हता, भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया, वरिष्ठता सूची, आचरण और शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया सहित सेवा शर्तों के संबंध में विशिष्ट नियम, अर्थात् 1977 के भर्ती नियम मौजूद हैं। अतः, 1979 के पेंशन नियमों को 1977 के भर्ती

नियमों के सामंजस्य में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि 1979 के पेंशन नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग को पेंशन का लाभ प्रदान करना है और इसका अर्थ उन कर्मचारियों से लगाया जाना चाहिए जिन्हें 1977 के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार भर्ती किया गया है, क्योंकि यदि 1979 के पेंशन नियमों को पृथक रूप से या स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाता है, तो 1977 के भर्ती नियम निरर्थक हो जाएंगे।

13. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि दो अधिनियमितियों के बीच कोई विरोध या अंतर्विरोध होता है, तो उस विरोध को सुलझाने के लिए 'सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन' के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एन.टी. वेलुस्वामी थेवर बनाम जी. राजा नैनार व अन्य, ए.आई.आर 1959 एस.सी 422** के प्रकरण में संविधि के सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के संबंध में निम्नानुसार अवधारित किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि अपने सही अर्थान्वयन के आधार पर, कोई संविधि विसंगतिपूर्ण परिणामों की ओर ले जाती है, तो न्यायालयों के पास उसे प्रभावी करने और कानून में संशोधन या परिवर्तन करने का कार्य विधायिका पर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। किंतु जब किसी संविधि की व्याख्या करने पर दो दृष्टिकोण संभव हों, एक जिससे विसंगति उत्पन्न होती हो और दूसरा जिससे नहीं, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह बाद वाले (विसंगतिहीन) दृष्टिकोण को अपनाए न कि पूर्ववर्ती को, और इस विचार में सांत्वना न खोजे कि 'कानून विसंगतियों से भरा पड़ा है'।

16. इस प्रश्न पर एक अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना आवश्यक है। यदि यह मान लिया जाता है कि 1979 के पेंशन नियम, उन कर्मचारियों पर स्वतंत्र रूप से लागू होंगे जैसा कि 1979 के पेंशन नियमों में 'कार्य-प्रभारित' और 'आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले' कर्मचारियों की परिभाषा दी गई है, तो वे कर्मचारी भी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से पेंशन प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे जो पात्र नहीं थे या जिन्हें 1977 के भर्ती नियमों की प्रक्रिया का पालन किए बिना मस्टर-रोल (उपस्थिति पंजी) आधार पर या दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि जो कर्मचारी संबंधित भर्ती नियमों में प्रगणित प्रक्रिया का पालन किए बिना और किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध तदर्थ आधार पर नियुक्त या नियोजित किया गया था, वह कोई विधिक हैसियत प्राप्त नहीं कर सकता था; और अतः, विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत के आधार पर, यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि 1979 के पेंशन नियमों का नियम 3, जो 1979 के पेंशन नियमों के दायरे और आवेदन को निर्धारित करता है, उन्हीं 'कार्य-प्रभारित और आकस्मिकता से भुगतान प्राप्त कर्मचारी' पर लागू होगा, जो 1977 के भर्ती नियमों की 'सेवा' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

23. इस न्यायालय की खंडपीठ ने **मधुकर तलमाले बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य, 2003 (4) एम.पी.एल.जे. 282** के मामले में यह निर्धारित किया है कि यदि

किसी कार्य-प्रभारित कर्मचारी की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध है, तो उसकी सेवा की गणना उसके नियमितीकरण की तिथि से की जानी चाहिए न कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से। खंडपीठ के सुसंगत निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

"मध्य प्रदेश कार्य-प्रभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1984 की अनुसूची में **अनुलग्नक-II** जोड़ा गया है, जैसा कि नियम 3 के अंतर्गत प्रावधानित है। क्रम संख्या 3(B) के तहत '**टाइम कीपर**' के पद का उल्लेख है। जो यह शर्त अधिरोपित करता है कि इसमें 100% सीधी भर्ती होगी। यह यह भी निर्धारित करता है कि पदधारी को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें गणित एक विषय के रूप में रहा हो। चूंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1983 में हुई थी, अतः 1984 के नियम लागू होंगे जो उस समय प्रभावी थे। नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए शिथिलता प्रदान की गई है। एक सामान्य परिपत्र दिनांक 13-11-1988 को जारी किया गया था जब नियम 11 का सहारा लेकर याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित किया गया था। यदि उक्त नियम को संबंधित परिपत्र के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाए, तो वह अपनी प्रारंभिक सेवा की तिथि से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध थी और इसलिए, उसकी वरिष्ठता की गणना नियमितीकरण की तिथि से की जानी चाहिए। अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई दोष या दुर्बलता नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम सारभूत विधि के प्रश्न क्रमांक 2 और 3 के संबंध में यह अवधारित करते हैं कि कोई कर्मचारी 1979 के पेंशन नियमों के नियम 6 के अनुसार अपनी विगत सेवा को अर्हकारी सेवा के रूप में गणना में लिये जाने का पात्र है, यदि उसकी नियुक्ति 1977 के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। हम आगे यह भी अवधारित करते हैं कि वह कर्मचारी, जिसकी नियुक्ति संबंधित विभाग द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों, अर्थात् 1977 के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी, 1979 के पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन की स्वीकृति के प्रयोजन हेतु अपनी पिछली सेवा को अर्हकारी सेवा के रूप में गणना में लिया जाने का पात्र नहीं होगा; और हम तदनुसार विधि के सारभूत प्रश्न क्रमांक 2 और 3 का उत्तर देते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. सारभूत विधिक प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में: इस न्यायालय की पूर्ववर्ती खंडपीठ ने **रिट याचिका क्रमांक 1273/2000, मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामसिंह एवं अन्य** में यह अवधारित किया था कि एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 'कार्य-प्रभारित और आकस्मिकता से वेतन प्राप्त कर्मचारी' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, अतः उसका प्रकरण मध्य प्रदेश कार्य-प्रभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन नियम, 1979 द्वारा अच्छादित नहीं होगा; इस तथ्य पर इस न्यायालय की उत्तरवर्ती खंडपीठ द्वारा **रहीसा बेगम बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य, 2010 (4) एम पी एल जे 332** के मामले में ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि, बाद के प्रकरण में, खंडपीठ ने यह निर्धारित किया है कि यदि कोई कर्मचारी 1979

के पेंशन नियमों में यथा-परिभाषित 'कार्य-प्रभारित और आकस्मिकता से वेतन प्राप्त कर्मचारी' की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो वह 1979 के नियमों के अनुसार अर्हकारी सेवा के प्रयोजन हेतु अपनी पिछली सेवा की गणना करने का पात्र है। हमारी राय में, खंडपीठ के इन निर्णयों के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि खंडपीठों के निष्कर्ष अलग-अलग तथ्यात्मक पहलुओं पर आधारित हैं। तदनुसार, हम विधि के सारभूत प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देते हैं कि दोनों खंडपीठों के निर्णयों के बीच मतभेद का कोई अंतर्विरोध नहीं है। अतः, **रहीसा बेगम बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य, 2010 (4) एम पी एल जे** 332 के मामले में खंडपीठ का निर्णय 'पर इनक्यूरियम' (**अनवधानता जन्य**) नहीं है। हम विधि के सारभूत प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर तदनुसार देते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उपरोक्त चर्चा से तथा नियम 2(ग) के तहत यथा-परिभाषित शब्द '**स्थायी कर्मचारी**' की व्याख्या और नियम 3 में वर्णित पेंशन नियम, 1979 के दायरे और आवेदन संबंधी प्रावधानों के आधार पर, इस न्यायालय को यह निर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि एक दैनिक वेतन भोगी कार्य-प्रभारित कर्मचारी द्वारा बिताई गई अवधि, चाहे वह 'स्थायी गैंगमैन' के रूप में हो या किसी अन्य क्षमता में, छत्तीसगढ़ (कार्य-प्रभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के तहत **अर्हकारी सेवा** की गणना के लिए नहीं ली जा सकती है; और केवल नियमितीकरण की तिथि के पश्चात प्रदान की गई सेवा को ही पेंशन

नियम, 1979 के नियम 2(ग) के सह पठित नियम 3 के निबंधनों के अनुसार अर्हकारी सेवा की गणना हेतु लिया जाएगा।

27. उपरोक्त के आलोक में, सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

हस्ताक्षर./-

(पी.के.मिश्रा) न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By- अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता